प्रिय प्रधान शिक्षक , शिक्षक एवं साथी

विषय : ग्लोबल एक्शन वीक (2 से 8 मई 2011) के दौरान महिला एवं बालिका शिक्षा पर पाठ पढ़ाने के संदर्भ में ।

संयुक्त राष्ट्र के बालिका शिक्षा की पहल एवं ग्लोबल कैम्पेन फार एजुकेशन, आपके विद्यालय को 2 से 8 मई 2011 के बालिका शिक्षा पर पाठ कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करता है । भारत में युनेस्को एवं नेशनल कोएलिशन फार एजुकेशन द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है । लगभग 100 देशों में , लाखों वयस्क एवं बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा में प्रशंसनीय काम करने वाली महिलाओं व बालिकाओं की कहानियां सुनकर प्ररेणा लेंगे।

हम चाहते हैं कि विद्यालय भी इसी गतिविधि का हिस्सा बनें और यह कार्यक्रम रोचक एवं ऐतिहासिक हों ।

यह पाठ महिला एवं बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर आधारित हैं । अधिकांश महिलाएं या बालिकाएं पढ़ लिख नहीं सकती , क्योंकि उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला । कुछ ने स्कूल जाना भी शुरू किया पर आर्थिक तंगी के चलते स्कूल बीच में ही छोड़ दिया । नेताओं ने वायदा किया था कि वे ऐसी स्थितियां बनायेंगे कि प्रत्येक महिला एवं बालिका स्कूल जा सकें । हम चाहते हैं कि वर्ष 2011 में वो अपने इस वादे पर अमल करें ।

आपके विद्यालय में शिक्षकों एवं बच्चों को दुनिया भर में होने वाले इस पाठ में लाखों लोगों के साथ हिस्सा बनने का मौका मिल रहा हैं । इस पाठ के अंत में आपको चित्रकला के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करना होगा ।

इस पत्र के साथ , पाठ में सहायता प्रदान करने सम्बन्धी सामग्री भी भेज रहे है।

- पाठ का कार्यक्रम
- चित्रकला सम्बन्धी गतिविधि के निर्देश

हमें आशा है कि आप सभी इस रोचक गतिविधि में भाग लेकर प्रत्येक बालिका एवं महिला को शिक्षा का मौका दिलाने के हमारे अभियान का हिस्सा बनेंगे ।

भवदीय

2011 ग्लोबल एक्शन वीक ''बड़ी कहानी'' अध्याय योजना

''यह एक अधिकार है , इसे वास्तव में अधिकार बनाएँ ! महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा अभी!''

उद्देश्य

- तथ्य कि, लाखों बच्चे एवं वयस्क जिन्होंने कभी विद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त नहीं किया तथा उनमें से भी अधिक संख्या महिलाओं एवं बालिकाओं की है, पर बहस कराना ।
- छात्रों के बीच विश्व को लैंगिक परिपेक्ष्य में देखने के लिए जागरूकता फैलाना तथा इस कार्य के लिए उनको उत्साहित करना ।
- विश्व के नेताओं को उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा की याद दिलाना तथा इस बात पर बहस कराना कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की ।
- यह बताना कि कैसे छात्र इस वैश्विक प्रयास के माध्यम से जनजन तक संदेश पहुचा सकते हैं ।

अध्याय के समाप्त होने पर शिक्षार्थी को निम्नलिखित बातें समझनी चाहिए

- बालिकाओं की शिक्षा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले फायदों की समझ
- विश्व के अन्य भागों में रहने वाले बच्चों की जीवनशैली की विभिन्नता को प्रोत्साहित करने की प्रवृति का विकास
- बालिकाओं का विद्यालयों में दाखिला कराने वाले सकारात्मक बिन्दुओं तथा उन्हें विद्यालय मे जाने से रोकने वाले नकारात्मक पहलुओं की समझ

भाग क

अनुभाग अ : प्रस्तावना (5 मिनट)

शिक्षक द्वारा विधार्थियों को इस बात से अवगत करना कि विश्व के सभी देशों के बच्चे विश्व भर की तमाम बुद्धिजीवी , महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए जिन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की, एकजुट होकर इस अभियान में भागीदारी कर रहे हैं ।

शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे कि आप मे से कौन यह बताएगा कि आपके देश में कितने बच्चे हैं जो विद्यालयों से बाहर हैं और उनमे से महिलाओं और बालिकाओं की कितनी संख्या है ?

शिक्षक विद्यार्थियों से आधारभूत तथ्यों को सांझा कर सकते है :

- सात करोड़ बीस लाख (720 लाख) बच्चे पूरी दुनिया विद्यालयों से बाहर हैं।
- उनमे से 54 फीसदी (लगभग 3.9 करोड़) बालिकाए है तथा
- अशिक्षित वयस्कों मे से महिलाओं की संख्या कुल संख्या का दो तिहाई है।

एक अशिक्षित बालिका के जीवन मे आने वाली समस्याएँ :

- बाल विवाह/शीघ्र विवाह
- कुपोषित बच्चे होने की संभावना और बच्चों के ज्यादा बीमार पड़ने की संभावना ।
- गरीब बने रहने की संभावना

शिक्षक विद्यार्थियों से पूछे कि क्या वे किसी ऐसी महिला या लड़की को जानते हैं जिसने कोई प्रशंसनीय काम किया हो। क्या वे लड़कियां या महिलाएं स्कूल गई थी ?

अनुभाग ब : लैगिंक भूमिका एवं शिक्षा

शिक्षक विधार्थियों से पूछे कि क्या वे ऐसी परिस्थितियों को चिन्हित कर सकते हैं जो बालक एवं बालिकाओं में भेद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार हैं तथा बालिकाओं की शिक्षा प्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं ?

शिक्षक पूछे कि विकासशील देशों में नारी को प्राप्त होने वाले शिक्षा के अवसरों की क्या उपादेयता है?

(उच्चस्तरीय कक्षाओं में बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में चर्चा करें) एक संक्षिप्त परिचय

- बाल अधिकार सम्मेलन 1989 में अनुमोदित अंगीकृत किया गया तथा यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण था जिसने समेकित मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रतिबद्धता की बात की ।

- यह सभी बच्चों के लिए, उनकी जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, लिंग तथा भाषाई विभिन्नता से ऊपर उठकर उनके आधारभूत मानवाधिकारों के सुरक्षा की पैरवी करता है । इन अधिकारों में शामिल हैं उत्तर जीविका का अधिकार , सर्वांगिण विकास का अधिकार, हानिकारक प्रभावों, कुरीतियों एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार तथा परिवार संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश में पूर्णतया भागीदारी का अधिकार ।

- सम्मेलन के मुख्य चार सिद्धांत हैं भेदभाव से मुक्ति, बच्चे के सर्वोपरि हित के प्रति श्रद्धा, जीवित रहने, उत्तरजीविता एवं विकास का अधिकार तथा बच्चों के विचारों का सम्मान ।

- सम्मेलन के कमोवेश पूरी दुनिया ने स्वीकार किया तथा अब यह 194 देशों में लागू है ।

- इस सम्मेलन के घोषणापत्र को स्वीकार करने तथा लागू करने के बाद किसी भी देश की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है कि वह बच्चों के समस्त अधिकारों की पूर्णतया सुरक्षा करेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगी ।

शिक्षक कुछ और ज्ञान की बातें बताएँ तथा अविकसित देशों में निवास करने वाले बच्चों की भौगोलिक परिस्थितियों, संस्कृति तथा जीवन यापन की कठिनाइयों के बारे में अवगत कराएँ ।

शिक्षक बच्चों से पूछे कि बालक एवं बालिका दोनों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

शिक्षक विधार्थियों से ऐसे व्यवसायों के नाम नाम पूछें जिन्हें या तो मात्र पुरूष या मात्र महिलाएं ही कर सकती है ।

शिक्षक यह भी पूछें कि विद्यार्थियों से उनके घरों में क्या कार्य करने की उपेक्षा की जाती है और उसमे से कोई भी ऐसा काम है जिसे या तो सिर्फ बालक या सिर्फ बालिका ही कर सकती है ?

शिक्षक विधार्थियों से पूछें कि विद्यालय में शिक्षा क्यों अनिवार्य है ? तथा क्यों बच्चे, खासतौर से बालिकाएं विद्यालय से वंचित हैं ?

कुछ उत्तर इस प्रकार हो सकते हैं

- कुछ बच्चे अशांत क्षेत्रों में रहते हैं या तो वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है ।

- कुछ संस्कृतियों में, जहां शिक्षा के लिए संसाधन सीमित है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती ।
- जल्दी विवाह हो जाने के बाद घरेलू कामकाज में मन लगाने के उद्देश्य से बालिकाओं को विद्यालयों में न जाने के लिए दबाव दिया जाने लगता है।
- कुछ बच्चों के निवास स्थान से विद्यालयों की अत्यधिक दूरी तथा रास्ते में आने वाले खतरों के कारण उन्हें घर में ही रखा जाता है तथा स्कूल नहीं भेजा जाता ।
- बालिकाएं शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न की ज्यादा शिकार होती है ।
- गरीबी : कुछ बच्चे अपने परिवार की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बाल मजदूरी में झोंक दिए जाते है ।
- बच्चों के पास किताब तथा पोशाक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते ।
- उनके पास विद्यालय में चुकाने के लिए शुल्क का पैसे नहीं होते।
- सभी को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त विद्यालय नहीं है ।
- शिक्षकों की कमी है ।

अनुभाग स उसके लिए क्या किया जा सकता है (10 मिनट)

शिक्षक विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनके अनुसार लड़कियां किस तरह स्कूलों में बनी रह सकती है । कुछ उत्तर इस तरह के हो सकते हैं –

- विकसित देशों में सरकारें लड़कियों की शिक्षा में सहायता को बढ़ायें

- उनकी निजता के अनुसार स्कूलों में साफ सफाई, स्वच्छता एवं शौचालय आदि की व्यवस्था करवाकर
- उस तरह की व्याख्याओं को खत्म करके जहां लड़कियों को कमतर समझा जाता हैं
- शिक्षा के लिए दिये जाने वाले शुल्क व छिपे हुए खर्च को खत्म करके
- लड़कों एवं पुरूषों को महिला एवं बालिका शिक्षा की वकालत करने वाला बनाकर

शिक्षक पूरी कक्षा से निम्न प्रश्न पूछें । यदि इस दौरान कार्यक्रम में कोई राजनीतिज्ञ भी उपस्थित हो, उनसे भी इसके उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है

- पूरी दुनिया में कितने बच्चे स्कूलों में नहीं है?
- जब शिक्षा की बात होती है तो वो कौन सा समूह है जो सबसे ज्यादा नुकसान में है?
- किसी एक ऐसी प्रसिद्ध महिला का नाम बताओ, जो पढ़ी लिखी हो
- शिक्षा जरूरी क्यों है, इसके कुछ मुख्य कारण बताओ
- लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए क्या करनी जरूरी है ?

अनुभाग द गतिविधि (30 मिनट)

शिक्षक विद्यार्थियों से कहे कि वे ये सोंचे कि लड़कियों की शिक्षा जरूरी क्यों है? किसी कलाकृति या चित्रकला के माध्यम से वह विद्यार्थियों से इस

सवाल का जवाब मांगें कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा हम सभी की सहायता कर सकती है ?

अन्य निर्देशों के लिए इसके साथ संलग्न चित्रकला प्रतियोगिता संबंधित पर्चे को पढ़ें । यह गतिविधि प्रतियोगिता में भाग लिए बिना स्वैच्छिक तरीके से भी की जा सकती है । अर्थात् बच्चे एवं स्कूल अपनी पेंटिंग अपने पास ही रख सकते हैं ·

उदाहरण के लिए कुछ उत्तर इस तरह के हो सकते हैं

- एक शिक्षित लड़की बड़ी होकर शिक्षित महिला बनेगी । जिससे उसके ज्यादा स्वस्थ होने, आर्थिक रूप से सशक्त होने एवं उसके बच्चों के स्कूल जाने की संभावना ज्यादा है ।
- शिक्षित महिला स्वयं का अच्छी देखभाल के साथ साथ अपने बच्चों की भी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकती है और
- जल्दी शादी होने से रोक सकती है जिससे एड्स जैसी बीमारियां कम हो सकती हैं ।

शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों से सोचने को बोले कि उनका जीवन कैसा होगा यदि लड़कियां कभी भी स्कूल न जाएं ?

- शिक्षक 2–3 बच्चों से शिक्षा न मिलने के प्रभावों के बारे में बतायें

सभी के लिए लड़कियों सहित, शिक्षा के महत्व को बताते हुए शिक्षक कुछ उदाहरण दे, कुछ उदाहरण इस तरह के हो सकते हैं

- शिक्षित लोग स्वस्थ होते हैं क्योंकि वे जीवन में स्वस्थ पसंद रखते हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन की जानकारी रहती है ।

- शिक्षा भूख से भी लड़ती है। शिक्षित महिलाओं के बच्चे सही से पोषित होते हैं ।
- शिक्षा जिन्दगी बचाती है । एक शिक्षित माता के बच्चे की पाँच वर्ष तक की उम्र तक बचने की संभावना अनपढ़ महिला की तुलना में दोगुना ज्यादा होती है ।
- शिक्षा गरीबी के खिलाफ लड़ने में सहायता करती है ।

शिक्षक पूछे कि कक्षा सोंचे कि महिलाओं व लड़कियों को स्कूल जाने का बराबरी का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए ।

चित्रकला प्रतियोगिता 2011

''किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा हम सभी की सहायता करती है?''

यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बालिका शिक्षा पहल एवं नेशनल कोएलिशन फार एजुकेशन शिक्षा में लड़के एवं लड़कियों की बराबरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

इस वर्ष हम चित्रकला के माध्यम से ''किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा हम सभी को सहायता कर सकती है'' विषय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आयोजित कर रहा है।

पुरस्कार

- पूर्वी एशिया एवं पैसिफिक एवं दक्षिण एशिया से पुरस्कृत 13 कलाकृतियों को शिक्षा कैलेण्डर 2012 में छापा जायेगा।
- विजेताओं को आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलेगा।
- विजेता की कलाकृतियों को आयोजकों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। साथ ही इन्हें संयुक्त राष्ट्र की बालिका शिक्षा पहल की सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्रकाशनों, एडवोकेसी सामाग्रियों आदि में भी प्रयोग किया जायेगा।

चित्रकला संबंधी विनिर्देश

- कलाकृति के द्वारा प्रतिभागी की ''किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा हम सभी की सहायता कर सकती है'' विषय पर भावना अभिव्यक्त होनी चाहिए।
- कलाकृति ए 4 साइज के पेपर में होनी चाहिए।

- कलाकृति श्वेत/श्याम या रंगीन कैसी भी हो सकती है।
- आप कोई भी सामग्री प्रयोग कर सकते है (पेंसिल, क्रेयांस, पेण्ट आदि) जो भी आप पसन्द करें।

चित्रकला के माध्यम से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं

- खेलकूद संबंधी गतिविधियों
- घर में होने वाली गतिविधियों
- साथ – साथ खेलना
- स्कूल का वातावरण

कापीराइट

अपनी कलाकृति आयोजक के पास जमा करने के बाद उसके प्रयोग के सारे अधिकार आयोजक के होंगे। पर आयोजक कलाकृति बनाने वाले का नाम, देश एवं उम्र प्रकाशन के दौरान अवश्य लिखेगा।

कौन इसमें भाग ले सकता है

- एशिया एवं पैसिफिक देशों के सभी नागरिक।
- प्रतिभागी की उम्र 18 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए।
- लड़कियों एवं लड़कों दोनों को बराबरी से इसमें भाग लेने का अधिकार है।
- प्रत्येक प्रतिभागी एक या इससे अधिक कलाकृतिओं बना सकता है ।

कहाँ भेजे :

कलाकृति के पीछे अपना नाम, उम्र, कक्षा, विद्यालय का नाम, पूरा पता (पिन कोड सहित), देश का नाम लिखकर निम्न पते पर भेज दें ।

सुश्री हुमा मसूद
यूनेस्को
बी 5/29, सफदरजंग इन्कलेव
नई दिल्ली – 110029
ईमेल h.masood@unesco.org

अंतिम तिथि

अपनी प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 मई 2011 तक है । विजेता प्रविष्टि की घोषणा नवम्बर 2011 में की जाएगी ।